

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221579 CG-DL-E-05092020-221579

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] No. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

> मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

मि.सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या/.2361-.केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) के अनुच्छेद 27 की उपधारा- (2) के साथ पठित अनुच्छेद 20 की उपधारा- (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारिणी परिषद् पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिनियमों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित परिनियम बनाता है, यथाः-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन. - (1) इन परिनियमों को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु), 2020 कहा जाए।

(2) ये अधिकृत राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में, -

(i) परिनियम 9 के बाद निम्नलिखित परिनियम जोड़ा जाएगा, यथाः –

"9 क. कोर्ट का गठन

- (1) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथाः
 - (क) पदेन-सदस्यः
 - (i) कुलाधिपति;
 - (ii) कुलपति;
 - (iii) समकुलपति-, यदि कोई हो;
 - (iv) वरिष्ठतम डीन;
 - (v) डीन विद्यार्थी कल्याण;
 - (vi) वित्त अधिकारी;
 - (vii) परीक्षा नियंत्रक;
 - (viii)पुस्तकालयाध्यक्ष; और
 - (ix) कुलसचिव, सदस्य सचिव।

(ख) अकादमिक कर्मचारियों के प्रतिनिधिः

- (i) अध्ययन विद्यापीठों के डीन में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा संकायों में नियुक्त शिक्षकों में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक (एक सह प्रोफेसर एवं एक सहायक प्रोफेसर)।

(ग) कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति के नामितीः

- (i) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जो विख्यात अकादमिक विद्वान हों अथवा जिन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
- (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो प्रबुद्ध पेशेवर अथवा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो।

(घ) कुलपति के नामितीः

विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले तीन व्यक्ति।

(ङ) कार्यकारिणी परिषद् के नामितीः

कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित नागरिक समाज (गैर-सरकारी संगठन अथवा उद्योग अथवा विधिक समुदाय अथवा प्रख्यात नागरिक) के दो प्रतिनिधि।

(च) विद्यार्थियों के प्रतिनिधिः

विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि (विद्यार्थी परिषद् द्वारा विद्यार्थी परिषद् में से चयनित एक पुरुष और एक महिला)

(छ) पूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधिः

एक प्रतिनिधि (पूर्व विद्यार्थी संघ द्वारा चयनित)

(2) पदेन-सदस्यों को छोड़ कर कोर्ट के अन्य सभी सदस्य तीन वर्ष की एक अवधि के लिए कोर्ट में बने रहेंगे।

परंतु उप परिनियम (1) के पैरा (च) के अधीन सदस्य एक वर्ष अथवा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक कोर्ट में बने रहेंगे। (3) कोर्ट के एक तिहाई सदस्यों से कोर्ट की बैठक की गणपूर्ति होगी।"

(ii) परिनियम 10 में उपपरिनियम- (5) हटाया जाएगा।

नोटः परिनियम 10(5) को असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या 27, भाग-II, खंड-I दिनांक 20.03.2009 के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में प्रकाशित किया गया था। यह परिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का हिस्सा था।

कंवर पाल सिंह मंदरा, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा./213/2020-21]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

(CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2020

F.No. CUPB/CC/19-20/Ord./2361. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of the Central University of Punjab with the approval of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend the Central Universities of Punjab Statutes, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes (for Central University of Punjab), 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first Statute of the Central University of Punjab -

- (i) after Statute 9, the following Statute shall be inserted, namely: -
 - "9 A. Constitution of the Court. (1) The Court shall consist of the following members, namely:-

(a) Ex-Officio Members:

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro Vice-Chancellor, if any;
- (iv) the Senior Most Dean;
- (v) the Dean Students' Welfare;
- (vi) the Finance Officer;
- (vii) the Controller of Examinations;
- (viii) the Librarian; and
- (ix) the Registrar, Member Secretary.

(b) Representatives of the Academic Staff:

- (i) Two members from amongst the Deans of Schools of Studies, by rotation according to the seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (ii) Two Teachers (One Associate Professor and one Assistant Professor) from among the University appointed teachers of the Faculties, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to the seniority.

(c) Nominees of the Visitor and Chancellor:

- (i) Three persons, who are well known academicians or who have special knowledge or practical experience in higher education, to be nominated by the Visitor.
- (ii) One Person who is learned professional or eminent scientist, to be nominated by the Chancellor.

(d) Nominees of the Vice-Chancellor:

Three persons of eminent personality in the field of Science and Education.

(e) Nominees of the Executive Council:

Two representatives of Civil Society (Non-Government Organization or Industry or Legal Fraternity or Eminent Citizen), to be nominated by the Executive Council.

(f) Representatives of Students:

Two representatives of students (one male and one female elected by the members of the Students' Council from among themselves).

(g) Representatives of Alumni:

One representative (Elected by the Alumni Association).

(2) All members of the Court, other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years:

Provided that the members referred to under clause (f) of sub statute (1) shall hold office for a period of one year or till such time as they continue to be students of the university, whichever is earlier.

(3) One third members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court."

(ii) In Statute 10, the sub-statute (5) shall be omitted;

Note: The Statute 10(5) was published in the Central Universities Act, 2009 vide Extraordinary Gazette Notification No. 27, PART-II, Section-I dated 20.03.2009. The Statute was the part of Central Universities Act, 2009.

KANWAL PAL SINGH MUNDRA, Registrar [ADVT-III/4/Exty/213/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

फा. सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या/.2361.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 28 की उप-धारा (2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष की सहमति से अध्यादेश सं. XIII को निम्नलिखित से बदला जाता हैः

"XIII

विभागाध्यक्ष

[अधिनियम अनुच्छेद 6, परिनियम 15(5)(क)]

1. अध्यक्ष की नियुक्ति

विभागाध्यक्ष के पद पर विभाग के प्रोफेसर व सह-प्रोफेसर की नियुक्ति उनकी वरीयता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी।

2. कार्यालय का कार्यकाल

- 2.1 विभागाध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 2.2 अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने पर विभागाध्यक्ष पद से स्वतः हट जाएंगे
- 2.3 विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

3. सभापति

विभागाध्यक्ष विभाग की बैठकों का संयोजन एवं अध्यक्षता करेंगे।

4. कार्य

विभागाध्यक्ष, डीन के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- 4.1 शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य संचालित करना;
- 4.2 शिक्षण कार्य के आबंटन के अनुरूप समय-सारणी तैयार करना;
- 4.3 संकाय के माध्यम से कक्षा-कक्षों एवं प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना;
- 4.4 विभाग के समुचित कामकाज के लिए विभाग के शिक्षकों को यथा-आवश्यक डय़ूटियां सौंपना, तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना; और
- 4.5 संबंधित विद्यापीठ के डीन, अकादमिक परिषद्, कार्यकारिणी परिषद् और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।"

कंवर पाल सिंह मंदरा, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा/213/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2020

F.No. CUPB/CC/19-20/Ord./2361. In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 28 of the Central University Act, 2009 read with Section 37 of the Second Schedule of the Central Universities Act, 2009, the Ordinance No. XIII is replaced with the following with the consent of the Visitor:

"XIII

HEADS OF DEPARTMENTS

[Act Section 6, Statute 15(5)(a)]

1. Appointment of Head

The post of Head of the Department may be assigned to the Professors and Associate Professors of the Department by rotation in order of seniority.

2. Term of Office

2.1 The Head of a Department shall hold office for a period of three years.

2.2 The Head of a Department shall on attaining superannuation, cease to hold office as such.

2.3 The Head of a Department may resign his/her office at any time during his/her term of office.

3. Chairperson

The Head of a Department shall convene and preside over the meetings of the Department.

4. Functions

The Head of a Department shall, under the general supervision of the Dean, perform the following functions to:

- 4.1 Organize the teaching and research work;
- 4.2 Frame the time table in conformity with the allocation of the teaching;
- 4.3 Maintain discipline in the class rooms and laboratories through faculty;
- 4.4 Assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department, and exercise control over the non-teaching staff; and
- 4.5 Perform such other functions as may be assigned to him/her by the Dean of the concerned School, the Academic Council, the Executive Council and the Vice Chancellor."

KANWAL PAL SINGH MUNDRA, Registrar [ADVT-III/4/Exty/213/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

फा. सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या./2361.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 28 की उप-धारा (2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष की सहमति से अध्यादेश सं. XXIV XXV, XXXII, XXXVI, XXXVIII और XL अधिसूचित किए जाते हैः

अध्यादेश-XXIV

एडजंक्ट प्रोफेसर

[अधिनियम की धारा 6(1) (xvi), 28(1) (ण)]

1. एडजंक्ट प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगाः

1.1 कुलपति या उनका नामिति	अध्यक्ष
1.2 कुलपति द्वारा मनोनीत एक डीन	सदस्य
1.3 सम्बंधित विभाग का अध्यक्ष	सदस्य
1.4 कुलपति द्वारा मनोनीत एक बाहरी विशेषज्ञ	सदस्य
1.5 कुलसचिव	संयोजक

2. अर्हता, अनुभव और चयन मापदंडः

अभ्यर्थी देश या विदेश का एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जो विश्वविद्यालय के किसी एक अध्ययन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो। यदि समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है तो इसे सक्षम प्राधिकारी को कार्यकारी परिषद से अनुमोदन करवाये जाने हेतु अग्रेषित किया जा सकता है।

2.1 अर्हताः

एडजंक्ट संकाय के लिए अभ्यर्थी के लिए निम्न मानदण्ड अनिवार्य होंगेः

(क) परंपरागत उच्च शिक्षण कोर्सेज के लिए:

(i) यूजीसी/सम्बंधित सांविधिक परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अथवा

(ii)ख्यातिप्राप्त व्यक्ति स्नातकोत्तर या पीएच.डी. अर्हता सहित या इनके बिना।

(ख) कुशलता आधारित कोर्सेज के लिए:

- (i) चयनित क्षेत्र के विषय में निपुण पेशेवर/विशेषज्ञ होना चाहिए और यूजीसी नियमों के अधीन निर्धारित आवश्यक योग्यता धारण करना आवश्यक नहीं है।
- (ii)संबंधित व्यवसाय/जॉब भूमिका के शिक्षण हेतु क्षेत्रक कौशल परिषद् द्वारा एन.एस.क्यू.एफ के अधीन राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए प्रमाणित पेशेवर/विशेषज्ञ होना चाहिए

उनसे उद्योग आवश्यकताओं, राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और कौशल हेतु मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की समझ होने की आशा की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त दोनों विषयों के एड्जंक्ट संकाय अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में निपुण विद्वान् होंगे और उनका जुड़ना संबंधित अकादमिक कार्यक्रमों को लाभ पहुंचाएगा।

2.2 चयन मानदंडः

एड्जंक्ट संकाय को एक समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पैनल की अवधि पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अलग-अलग यथा 06 महीने से 03 वर्ष तक संस्थान के निर्णयानुसार होगी। अपेक्षा की जाती है कि एड्जंक्ट संकाय के लिए किसी भी आवेदन पर पहले विभाग स्तर पर चर्चा की जाए। विभाग / संस्थान स्तर की शैक्षणिक गतिविधियों में ऐसे उम्मीदवार की उपयुक्तता को निर्दिष्ट करने वाली टिप्पणियों के साथ विभाग आवेदन को अग्रेषित कर सकता है। यदि विभाग एड्जंक्ट संकाय के लिए किसी प्रस्ताव की सिफारिश करता हैए तो उसी की जांच एक समिति द्वारा की जानी चाहिए।

3. पैनल की अवधिः

पैनल की अवधि पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अलग-अलग यथा 06 महीने से 03 वर्ष तक संस्थान के निर्णयानुसार होगी।

4. पदों की संख्याः

किसी भी समय एड्जंक्ट संकाय की संख्या स्वीकृत संकाय संख्या की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

5. कर्तव्य और उत्तरदायित्वः

5.1 शिक्षण

- 5.1.1 पारंपरिक उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमः एड्जंक्ट संकाय को उनके विशिष्ट विशेषज्ञता और व्यवसायिक अनुभव या उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाठ्यक्रम के शिक्षण की अपेक्षा की जाएगी। वह विद्यार्थियों की काउंसलिंगए नए पाठ्यक्रम विकसित करने और शैक्षणिक सुधार जैसी संस्थान की गतिविधियों में भी योगदान दे सकते हैं।
- 5.1.2 कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमः कौशल / अनुमोदित प्रशिक्षकों या अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त कौशल प्रवीणता प्रदान करने से संबंधित मुख्य पाठ्यक्रम। कौशल आधारित पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले ऐसे संकाय के पास एनएसक्यूएफ, वरियतः संबंधित क्षेत्रक कौशल परिषद् द्वारा प्रमाणित, अर्हता होनी चाहिए।
- 5.1.3 शोध पाठ्यक्रमः संबंधित संस्थान द्वारा उनके व्यवसायिक और अनुसंधान प्रवीणता के आधार पर एम.फिल/ पीएचडी कोर्सवर्क में एड्जंक्ट प्रोफेसर भी शामिल किए जा सकते हैं।

- 5.2 प्रशिक्षणः एड्जंक्ट प्रोफेसर से कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायताए संबंधित विषय-क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करनेए विद्यार्थियों में व्यावहारिक कौशल के विकास और योग्यता आधारित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाएगी।
- 5.3 अनुसंधानः एड्जंक्ट प्रोफेसर से व्यावसायिक दक्षता की अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोधार्थियों के साथ बातचीत और उनके पर्यवेक्षण की अपेक्षा की जाती है। हालांकिए अकादमिक प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन और समन्वय के लिए वरियतः एक कोर संकाय सदस्य को पर्यवेक्षक/ सह-पर्यवेक्षक के रूप में संबद्ध किया जाए। हो सकता है एड्जंक्ट संकाय में पारंपरिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि का अभाव होए ऐसे मामलों में उन्हें पारंपरिक विद्वानों की गतिविधियों (अर्थात उनसे स्वतंत्र अनुसंधान का संचालन करने और/या पियर-रिव्यूड शोधपत्रिकाओं में प्रकाशन की अपेक्षा नहीं की जाती है) में भाग लेते हुए संस्थान के अनुसंधान और रचनात्मक मिशन में योगदान की उम्मीद नहीं की जाती है। इसके बजायए वह अनुसंधान परियोजना पर संकाय की सलाह देकर, अनुसंधान और / या वित्तपोषण के अवसरों की पहचान करने के लिए संस्थान और उद्योग या सरकारी संस्थाओं के बीच एक संपर्कस्रोत के रूप में सेवा देकर, या वित्तपोषण के अवसरों की पहचान करेगा।
- 5.4 सेवाएं: एड्जंक्ट संकाय से विभागीय समिति में बैठना, के लिएए संकाय और / या स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए सलाहकार के रूप में सेवाए विद्यार्थी नेटवर्क में मदद करनेए और उद्योग / नियोक्ता के साथ सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर प्रदान करने सरीखी संबंधित सहायक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना अपेक्षित है।
- 5.5 उपर्युक्त के अधीन कुलपति अपने विवेकानुसार ऐसी अन्य नियम और शर्तें, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, निर्धारित करेगा।

6. लागत और मानदेयः

- 6.1 एड्जंक्ट संकाय को पात्रता के अनुसार प्रति शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम छः (06) बार उसके संस्थान/ रहने के स्थान आने-जाने की यात्रा लागत प्रदान की जाएगी। आवास किराए पर लेने की कोई प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। हालांकि उन्हें अतिथि गृह में मुफ्त ठहरने और बोर्डिंग प्रदान की जाएगी।
- 6.2 उन्हें रु. 1000/- (रु. एक हजार केवल) प्रति व्याख्यान, अधिकतम रु. 4000/- (रु. चार हजार केवल) प्रतिदिन रु. 80,000/- (रु. अस्सी हजार केवल) प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन, मानदेय प्रदान किया जाएगा। एड्जंक्ट संकाय मेजबान संस्थान में प्रति यात्रा न्यूनतम 02 दिन कार्य करेंगे।

7. निगरानी

प्रदत्त-कार्य के अंत में प्रत्येक एड्जंक्ट संकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रतिलिपि भेजते हुए मेजबान विश्वविद्यालय को एक 'कार्य-निष्पादन रिपोर्ट' प्रस्तुत करेगा। कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट अगले कार्यकाल के उनके निरंतरता / नवीकरण के लिए मानी जा सकती है।

8. एड्जंक्ट प्रोफेसर के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अध्यादेश-XXV

सांविधिक पदों से इतर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया/मानदंड और परिलब्धियां [अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ण); परिनियम 23 (2)]

1. वेतनमान

विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को यूजीसी / भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपने संबंधित वेतन बैंड के अनुसार स्वीकार्य और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अंगीकृत मासिक वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2. नियुक्ति की अवधि और अर्हता

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भर्ती नियमों, जो भारत सरकार / यूजीसी के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे, के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

3. चयन समितियों का गठन

- 3.1 गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समितियों का गठन विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित संवर्ग भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- 3.2 कुलपति यथा अपेक्षित एक या एक से अधिक सदस्यों को सह-योजित कर सकता है।

4. परिवीक्षा

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को संवर्ग भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। उनकी परिवीक्षा के सफल समापन पर उनका इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्थायीकरण किया जाएगा।

5. अवकाश की हकदारी

कर्मचारी भारत सरकार के नियमानुसार सभी प्रकार के अवकाश का हकदार होगा।

6. चिकित्सा बीमा / अवकाश यात्रा रियायत / अन्य लाभ

कर्मचारी चिकित्सा बीमा / अवकाश यात्रा रियायत / अन्य लाभ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हकदार होंगे।

7. आचरण नियम

सभी कर्मचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शासित होंगे।

8. सेवा अनुबंध

सभी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के साथ सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा।

9. हटाना

विश्वविद्यालय के किसी गैर-शैक्षणिक कर्मचारी को अधिनियम, परिनियम या प्रासंगिक अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय से हटाया जा सकता है।

अध्यादेश-XXXII

क्रीडा एवं खेलकूद समिति [अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ण)]

1. संघटन

विश्वविद्यालय की एक क्रीडा एवं खेलकूद समिति होगी।

2. गठन

क्रीडा एवं खेलकूद का संघटन निम्नानुसार होगाः

- 2.1 डीन विद्यार्थी कल्याण सभापति
- 2.2 कुलपति द्वारा मनोनीत दो प्रमुख खिलाड़ी सदस्य
- 2.3 विभिन्न क्रीडा एवं खेलकूद क्लबों के अध्यक्ष सदस्य
- 2.4 पंजीकृत विद्यार्थियों में से सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य एक उत्कृष्ट पुरूष/महिला खिलाड़ी
- 2.5 शारीरिक शिक्षा निदेशक/खेलकूद प्रभारी सचिव (पदेन)

3. कार्यालय का कार्यकाल

सचिव को छोड़ कर कार्यालय के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा, हालांकि उत्कृष्ट पुरूष/महिला खिलाड़ी (विद्यार्थी) का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

4. कार्य

- 4.1 विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के उपाय करना;
- 4.2 विश्वविद्यालय के क्रीडा एवं खेलों की व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण करना और इनसे संबंधित विनियम तैयार करना;
- 4.3 क्रीडा एवं खेलों के लिए बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तावित करना;
- 4.4 विभिन्न खेल क्लबों को वित्त आवंटित करना;
- 4.5 खेल के मैदान, व्यायामशाला, तरणताल और विश्वविद्यालय की अन्य खेल सुविधाओं का रखरखाव करना;
- 4.6 प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं, टूर्नामेंट, खेल सभा आदि का आयोजन/व्यवस्था करना;
- 4.7 खेलकूद कोटे के अधीन प्रवेश हेतु कुलपति को मनोनयन के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश करना;
- 4.8 प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाओं/वृत्तिका हेतु कुलपति को मनोनयन के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश करना; तथा
- 4.9 कार्यकारिणी परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना।
- शारीरिक शिक्षा निदेशक या खेलकूद प्रभारी कुलपति के अनुमोदन से डीन विद्यार्थी कल्याण के पर्यवेक्षण के अधीन बजट का प्रचालन करेंगे।

गणपूर्ति

समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी और तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

7. सूचना

. समिति की बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैठक की सूचना जारी की जाएगी।

8. कार्यवृत्त

सचिव समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

9. कार्य-संचालन नियम

समिति कुलपति के विचार एवं अनुमोदन हेतु कार्य-संचालन नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगी।

अध्यादेश-XXXVI

उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह

[अधिनियम अनुच्छेद 28(1)(ण) एवं परिनियम (29)]

1. वार्षिक दीक्षांत समारोह

उपाधियां प्रदान करने के उद्देश्य से कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर सामान्यतः वर्ष में एक बार दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि किसी विशेष वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो उस वर्ष सफल आवेदकों को उनकी संबंधित अनुपस्थित **उपाधियों** में प्रवेश अधिकृत करने तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपाधियां जारी करने के लिए कुलपति सक्षम होंगे।

2. विशेष दीक्षांत समारोह

- 2.1 अकादमिक परिषद् की संस्तुति पर विशेष परिस्थितियों के अधीन अन्य उपाधियां प्रदान करने के लिए परिनियम
 29 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानद उपाधियां प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित
 किसी समय पर एक विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा सकता है।
- 2.2 दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के निगमित निकाय से बना होगा।
- 2.3 उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

3. प्रतिवेदन

वार्षिक दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति पर कुलपति एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. सूचना

- 4.1 दीक्षांत समारोह के लिए संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों की बैठकों के लिए कुलसचिव द्वारा चार सप्ताह से कम का नोटिस नहीं दिया जाएगा।
- 4.2 कुलसचिव सूचना के साथ दीक्षांत समारोह के प्रत्येक सदस्य को वहां संचालित प्रक्रिया का एक कार्यक्रम जारी करेगा।
- 4.3 जिन अभ्यर्थियों ने पिछले दीक्षांत समारोह के बाद के किसी वर्ष में अपनी परीक्षा दी है, वे दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

5. आवेदन

- 5.1 उपाधि के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ व्यक्तिगत रूप से दीक्षांत समारोह में उपाधि में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक या उससे पहले अपना आवेदन कुलसचिव को प्रस्तुत करना होगा।
- 5.2 ऐसे अभ्यर्थी, जो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, कुलाधिपति या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा अनुपस्थिति में उपाधि हेतु प्रवेश दिया जाएगा और उनके डिप्लोमा निर्धारित आवेदन में और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर कुलसचिव द्वारा दिए जाएंगे।

6. शुल्क

दीक्षांत समारोह में व्यक्तिशः या अनुपस्थिति में उपाधि हेतु प्रवेश के लिए शुल्क अकादमिक परिषद द्वारा तय किया जाएगा।

7. मानद उपाधि

- 7.1 मानद उपाधि केवल दीक्षांत समारोह में दी जाएगी और इसे व्यक्तिशः या अनुपस्थिति में लिया जा सकता है।
- 7.2 दीक्षांत समारोह में उन व्यक्तियों की प्रस्तुति, जिन्हें मानद उपाधि प्रदान की जानी है, कुलपति द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन द्वारा दी जाएगी।
- 7.3 दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थी अपनी संबंधित उपाधि के लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार यथानिर्धारित गाउन और हुड पहनेंगे। किसी भी अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित शैक्षणिक ड्रेस में नहीं होगा, को दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

8. अकादमिक ड्रेस

दीक्षांत समारोह हेतु **विश्वविद्यालय की ड्रेस अकादमिक परिषद् द्वारा यथानिर्धारित होगी।**

9. दीक्षांत समारोह प्रक्रिया

दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया इसके विनियमों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित होगी।

अध्यादेश-XXXVIII

अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति/स्वर्ण पदक/पुरस्कार प्रदान करने हेतु अक्षयनिधि की स्वीकृति हेतु समिति एवं शासी शर्तें

[अधिनियम अनुच्छेद 6 (1) (xxiv) एवं 28 (1) (ञ)]

1. संघटन

अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति/स्वर्ण पदक/पुरस्कार प्रदान करने हेतु अक्षयनिधि की स्वीकृति के लिए एक समिति होगी, जिसका संघटन निम्नानुसार होगाः

- 1.1 कुलपति द्वारा मनोनीत एक डीन सभापति
- 1.2 वित्त अधिकारी सदस्य (पदेन)
- 1.3 कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय से

बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य

1.4 कुलसचिव सदस्य-सचिव (पदेन)

2. गणपूर्ति

समिति की बैठक हेतु एक तिहाई सदस्य इसकी गणपूर्ति करेंगे और वर्ष में कम से कम एक बार वरियतः दीक्षांत समारोह से एक दिन पहले बैठक करेंगे।

3. कार्यालय का कार्यकाल

पदेन सदस्यों को छोड़ अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

4. सूचना

. समिति की बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैठक की सूचना जारी की जाएगी।

5. कार्यवृत्त

सदस्य-सचिव समिति की बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे।

6. अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति/स्वर्ण पदक/पुरस्कार प्रदान करने हेतु अक्षयनिधि की स्वीकृति हेतु शासी शर्तेः

- 6.1 स्वर्ण पदक/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय ऐसी कोई अक्षयनिधि स्वीकार नहीं करेगा, जो किसी जाति, नस्ल, समुदाय, धर्म और क्षेत्र का विचार किए बिना सम्बद्ध कार्यक्रम/परीक्षा में विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हों।
- 6.2 छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार के लिए 1,00,000 से कम, एक स्वर्ण पदक के लिए 5,00,000 से कम, अक्षयनिधि व्याख्यान के लिए 4,00,000 से कम और अध्ययन-पीठ (चेयर) की स्थापना के लिए 12,00,00,000 से कम समग्र निधि की अक्षयनिधि स्वीकार नहीं की जाएगी। ये दानदाता फर्मों से स्वीकार की जाएगी।
- 6.3 केवल निष्कलंक सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों/संस्थाओं से अक्षयनिधि स्वीकार की जाएगी।
- 6.4 कार्यकारिणी परिषद् द्वारा स्वीकृति के बिना कोई भी अक्षयनिधि स्थापित नहीं की जाएगी।
- 6.5 जब समग्रनिधि पर प्राप्त ब्याज की राशि स्वर्ण पदक बनवाने के लिए अपर्याप्त हो, तो विश्वविद्यालय को स्वर्ण पदक की जगह नकद पुरस्कार देने का विवेकाधिकार होगा। हालांकि, ऐसे नकद पुरस्कार को प्रदान करने से पूर्व, जहां कहीं संभव हो, विश्वविद्यालय दानदाता या पुरस्कार प्राप्तकर्ता से पूछेगी कि क्या वह विश्वविद्यालय को स्वर्ण पदक हेतु इस राशि में पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि दान कर सकता है।
- 6.6 उत्तर-दान, चंदे एवं अक्षयनिधि के सभी प्रस्ताव, जिनका प्रबंधन विश्वविद्यालय के पास निहित है, इस शर्त पर स्वीकृत किए जा सकते हैं कि इससे प्राप्त वार्षिक आय 5 प्रतिशत कटौती के अधीन रहेगी, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में समग्रनिधि में जोड़ा जाएगा।

7. कार्य-संचालन नियम

समिति कुलपति के विचार एवं अनुमोदन हेतु कार्य-संचालन नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगी।

अध्यादेश-XL

प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति/करियर उन्नति के लिए मानदंड/विनियम

[अधिनियम अनुच्छेद 28(1) (ण)]

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति/करियर उन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रचलित और समय-समय पर यथा संशोधित मानदंड/विनियम द्वारा शासित होगी।

कंवर पाल सिंह मंदरा. कुलसचिव

[विज्ञापन- III/4/असा/213/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2020

F.No. CUPB/CC/19-20/Ord./2361—In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 28 of the Central University Act, 2009 read with Section 37 of the Second Schedule of the Central Universities Act, 2009, the Ordinance No. XXIV XXV, XXXII, XXXVI, XXXVIII and XL are notified with the consent of the Visitor:

ORDINANCE-XXIV

ADJUNCT PROFESSOR

[Act Section 6 (1) (xvi), 28 (1) (0)]

1. Selection Committee for the post of Adjunct Professor will comprise of the following:

1.1	Vice Chancellor or his nominee	Chairman
1.2	One of the Deans to be nominated	Member
	by the Vice Chancellor	
1.3	Head of Concerned Department	Member
1.4	One External Expert, to be nominated by the VC	Member
1.5	Registrar	Convener

1.5 Registrar

2. Qualification, Experience and Selection Criteria:

Candidate should be a distinguished persons from within the country or abroad, who has special competence in one of the fields of study covered by the University. If the committee recommends the case, the same would be forwarded to the competent authority for consideration and necessary approval from Executive Council.

2.1 **Qualifications:**

Candidate for adjunct faculty should satisfy the following norms:-

a) For Conventional Higher Education Courses:

- Should have the minimum qualifications as prescribed in the regulations framed by i) UGC/respective statutory councils from time to time. OR
- ii) A person of eminence with or without a postgraduate or Ph.D. qualifications.

b) For Skill based Courses:

- i) Should be an accomplished professional/expert in his chosen field of discipline and may not necessarily possess qualifications prescribed under UGC regulations. **OR**
- ii) Should be a certified professional, for teaching and training on National Occupational Standards under NSQF, by the sector Skills Council for teaching respective trade/job role.

They are also expected to have an understanding of industry requirements, National Occupational Standards (NOSs) and Assessment & Certification for skills.

In addition to the above, it is expected that the adjunct faculty in both the above steams would be an accomplished scholar in his area of specialization and his association would add value to the academic programmes he is associated with.

2.2 Selection Criteria:

Adjunct Faculty will be appointed by the competent authority based on the recommendation of a Committee, Period of empanelment will vary from 06 month to 03 years as decided by the Institutions on mutually agreed terms and conditions. It is expected that any application for adjunct faculty is first discussed at the department level. The department may forward the application with comments specifying the suitability of such candidates(s) in the department/institution level academic activities. If the department recommends a case for adjunct faculty, the same should be examined by a committee.

3. Period of Empanelment:

Period of empanelment will vary from 06 months to 03 years as decided by the University on mutually agreed terms and conditions.

4. Number of Posts:

The strength of Adjunct faculty may not exceed 25% the sanctioned strength of faculty at any time.

5. Roles and Responsibilities:

5.1 Teaching

- 5.1.1 **Conventional Higher Education Courses**: Adjunct faculty will be expected to teach courses directly related to his specific expertise and professional experience or the areas of his specialization. He may also contribute to the institution's activates like counseling of students, developing new courses (s) and pedagogical improvements.
- 5.1.2 **Skill based Vocational Courses**: The core courses pertaining to specialized skills/approved trainers or other persons with appropriate skill proficiency. Such faculty imparting education and training to learners in skill based course, should have relevant NSQF qualifications, preferably certified by the relevant Sector Skill Council.
- 5.1.3 **Research Courses**: Adjunct Professor may also be involved in the M.Phil / Ph.D. coursework based on his professional and research proficiency adjudged by the concerned institution.
- **5.2 Training:** Adjunct Professor will be expected to facilitate the setting of workshops and labs, providing hands on training in the relevant domain areas, development of soft skills, and focus on ensuring competency based learning outcomes among students.

- 5.3 Research: Adjunct Professor is expected to interact with and supervise the research student in the area of his specialization of professional proficiency. However, there should be preferably one core faculty members associated as supervise/Co-supervise for smooth induction and coordination of academic procedures. The adjunct faculty may lack a traditional academic background in such case, they are not expected to contribute to the institutions research and creative mission by participating in traditional scholarly activities (i.e. they are not expected to conduct independent research and/or publish in peer-reviewed journals). Instead, he may participate by advising faculty on their research project, serving as a liaison between the institutions and industry or government entities to identify research and/or funding opportunities or by working with faculty to identify research and/or funding opportunities or by working with faculty to identify research project that would benefit private industry and/or government entities.
- 5.4 Services: Adjunct faculty is also expected to actively participate in service related activities, such as sitting on departmental committee, serving as advisors to faculty and/or undergraduate and post graduate students, helping students network, and active collaboration with the industry / employer providing internship and job opportunities.
- 5.5 Subject to the above, the Vice Chancellor will determine, at his/her discretion, such other terms and conditions as may be deemed necessary.

6. Costs and Honorarium:

- 6.1 Adjunct faculty will be provided travel cost, as per entitlement, from his/her institution/place of stay and back, maximum six (06) times per academic year. No reimbursement for hiring accommodation will be permissible. However, she/he will be provided free lodging and boarding in the Guest House.
- 6.2 She/he will be provided an honorarium of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand Only) per lecture to a maximum of Rs. 4000/- (Rs. Four Thousand Only) per day of service subject to a maximum ceiling of Rs. 80,000/- (Rs. Eighty Thousand Only) per month. The Adjunct Faculty will work at the host institution for a minimum of 02 days per visit.

7. Monitoring

At the end of assignment, every Adjunct Faculty will submit a 'performance report' to the host university with a copy to the University Grants Commission. The performance report, may be considered for his continuation / renewal of next tenure.

8. The guidelines issued by University Grants Commission from time to time with respect to Adjunct Professors will be followed.

ORDINANCE-XXV

PROCEDURE/NORMS FOR APPOINTMENT AND EMOLUMENTS OF NON-TEACHING **EMPLOYEES EXCEPT FOR STATUTORY POSTS**

[Act Section 28(1) (o); Statute 23(2)]

1. Scale of Pay

The Non-teaching employees of the University shall be paid a monthly salary and allowances admissible as per their respective Pay Bands prescribed by the UGC/GOI and adopted by the University from time to time.

2. Term of Appointment and Qualifications

The employees of the University shall be appointed in accordance with the Recruitment Rules notified by the University from time to time with the approval of the competent authority which will be in consonance with the Govt. of India/UGC guidelines issued from time to time.

3. Constitution of Selection Committees

- 3.1 The constitution of Selection Committees for appointment at non-teaching positions shall be as prescribed in the Cadre Recruitment Rules notified by the University from time to time.
- 3.2 The Vice Chancellor may co-opt one or more members as may be required.

4. Probation

The non-teaching employees shall be placed under probation for a period as prescribed in the Cadre Recruitment Rules. On successful completion of their probation, they shall be confirmed as per criteria laid down by the University for this purpose

5. Entitlement of Leave

Employee shall be entitled to all kinds of leave as per rule of Govt. Of India.

6. Medical Insurance/LTC/Other Benefits

Employees shall be entitled to Medical Insurance/LTC/Other Benefits as per rules prescribed by Government of India.

7. Conduct Rules

All employees shall be governed as per rules prescribed by Government of India.

8. Service Contract

All employees shall be required to sign a Service Contract with the University.

9. Removal

A non-teaching employee of the University can be removed from office as per the provisions of the Act, Statutes or relevant Ordinances.

ORDINANCE-XXXII

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

[Act Section 28 (1) (o)]

1. Constitution

There shall be a Games and Sports Committee of the University.

2. Composition

The Games and Sports Committee shall consist of the following members:

2.1 Dean Students' Welfare	Chairperson
2.2 Two prominent sportspersons	Members
to be nominated by the Vice-Chancellor	
2.3 Presidents of various Games and Sports Clubs	Members
2.4 One Outstanding Sportsman / Sportswoman	Member
from among the students on rolls, nominated by	
the Chairperson	

3. Term of Office

The term of the office, other than the Secretary shall be two years. Further, the term of the outstanding sportsman/sportswoman (Student) will be one year.

4. Functions:

- 4.1 To take measures to attract the sports talent available in the University;
- 4.2 To make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
- 4.3 To propose the budgetary requirements for games & sports.
- 4.4 To allocate finances to the various sports clubs;
- 4.5 To maintain the play-grounds, gymnasia, swimming pools and other sports facilities of the University;
- 4.6 To hold / organise contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;
- 4.7 To recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players / sportspersons to be nominated for admission under sports quota;
- 4.8 To recommend to the Vice-Chancellor names of the Outstanding player / Sportspersons for training / coaching facilities / stipend; and
- 4.9 To perform such other functions, as may be assigned to it by the Executive Council / Vice-Chancellor from time to time.
- **5.** Director of Physical Education or Incharge Sports will operate the budget under the supervision of Dean Students' Welfare with the approval of Vice Chancellor.

6. Quorum

One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the committee, and the Committee shall meet at least once in a quarter.

7. Notice

Notice of the meetings of the committee shall be issued at least one week before the date fixed for the meeting.

8. Minutes

The Secretary shall keep the minutes of the meetings of the committee.

9. Rules of Business

The committee shall frame the rules of business and lay down guidelines for consideration and approval of the Vice Chancellor.

ORDINANCE-XXXVI

CONVOCATION FOR CONFERRING DEGREES

[Section 28(1) (O) & Statute 29 of the Act]

1. Annual Convocation

A Convocation for the purpose of conferring degrees shall ordinarily be held once in year on such date and place as may be fixed by the Vice Chancellor with prior approval of the Chancellor. Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice Chancellor shall be competent to authorize admission of successful candidates in the year to their respective degrees in absentia and issue the degrees on payment of prescribed fees.

2. Special Convocation

- 2.1 A special convocation may be held at such time as may be decided by the Executive Council for the purpose of conferring Honorary degrees in accordance with the procedure laid down in Statute 29 for the purpose of conferring other degrees under special circumstances on the recommendation of the Academic Council.
- 2.2 The convocation shall consist of the body corporate of the University.
- 2.3 The Chancellor shall preside over the Convocations of the University for conferring degrees.

3. Report

At the Annual Convocation the Vice Chancellor shall present a report of the year's work in the University.

4. Notice

- 4.1 Not less than four weeks' notice shall be given by the Registrar for meetings of the relevant statutory authorities for the Convocation.
- 4.2 The Registrar shall, with the notice, issue to each member of the convocation, a programme of the procedure to be observed there at.
- 4.3 The candidates who have passed their exams in the year since the last convocation shall be eligible to be admitted to the convocation.

5. Application

- 5.1 A candidate for the degree must submit to the Registrar his application on or before the date prescribe for the purpose for admission to the degree at the Convocation in person along with prescribed fees.
- 5.2 Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation shall be admitted to the degree in absentia by the Chancellor or in his/her absence by the Vice-Chancellor and their diplomas shall be given by the Registrar on application and payment of prescribed fees.

6. Fees

The fees for admission to the degree at the Convocation in person or in absentia shall be as decided by Academic council.

7. Honorary Degree

- 7.1 Honorary degree shall be conferred only at convocation and may be taken in person or in absentia.
- 7.2 The presentation of the persons at the Convocation on whom honorary degrees are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor or in his absence the Senior-most Dean of the University.
- 7.3 Candidates at the convocation shall wear gowns and hoods appropriate to their respective degrees as specified in rules by the University. No candidate shall be admitted to the convocation who is not in proper academic dress prescribed by the University.

8. Academic Dress

The academic dress of the University for the Convocation shall be as prescribed by the University.

9. Convocation Procedure

The Convocation Procedure of the University shall be as framed under its rules by the University.

ORDINANCE-XXXVIII

COMMITTEE AND CONDITIONS GOVERNING THE ACCEPTANCE OF ENDOWMENT FOR AWARD OF FELLOWSHIP/SCHOLARSHIP/ STUDENTSHIP/GOLD MEDAL/PRIZE

[Act Section 6 (1) (xxiv) and 28 (1) (j)]

1. Composition

There shall be a Committee for governing the acceptance of endowment for award of fellowship/scholarship/studentship/gold medal/prize, consisting of the following:

1.1	One of the Deans to be nominated by the VC	Chairperson
1.2	Finance Officer	Member
		(Ex-officio)
1.3	Two Experts from Outside University	Members
	to be nominated by the VC	
1.4	Registrar	Member-Secretary
		(Ex-officio)

2. Quorum

One-third members shall form the quorum for a meeting of the committee, and the Committee shall meet at least once in a year, preferably a day before Convocation.

3. Term of Office

The term of members, other than *ex-officio* members shall be 3 years.

4. Notice

Notice of the meetings of the committee shall be issued at least one week before the date fixed for the meeting.

5. Minutes

The Member-Secretary shall keep the minutes of the meetings of the committee.

6. Conditions for governing the acceptance of endowment for award of fellowship/ scholarship/ studentship/gold medal/prize:

- 6.1. The University shall not accept the endowment for the establishment of gold medal/prize/fellowship/scholarship/studentship, which are not open to all students of this University in the concerned programme/paper at an examination, irrespective of caste, creed, community, religion and region.
- 6.2. The University shall not accept the endowment whose corpus is less than Rs. 1,00,000 /- in case of Scholarship and Prize, Rs. 5, 00,000/- in case of one Gold Medal, Rs. 4, 00,000/- in case of Endowment Lecture and Rs. 12,00, 00,000/- for institution of a Chair. These will be accepted from the respective charity firms.

20	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]		
(.3. The endowment will be accepted only from persons/institutions with impeccable integrity.		
(.4. No endowment will be instituted without approval of the Executive Council.		
6	6.5. Where the amount of interest accruing on the corpus is not sufficient to obtain a Gol Medal manufactured, the University shall have discretion to award of cash prize in lieu of gold Medal. However, before awarding such cash prize the University shall request the donor or the awardee, wherever possible, as to whether he / she is willing to donar additional amount to enable the University to supplement the corpus for which Gold Medal instituted.		
Ć	.6. All offers of bequests, donations and endowments, the management whereof is to be vested in the University may be accepted on condition that the Annual income therefrom shall be subject to a deduction of 5% thereof which will be added to the corpus at the commencement of every financial year.		
7. R	ules of Business		
Т	The committee shall frame the rules of business and lay down guidelines for consideration and		

The committee shall frame the rules of business and lay down guidelines for consideration and approval of the Vice Chancellor.

ORDINANCE-XL

NORMS/REGULATIONS FOR PROMOTION/CAREER ADVANCEMENT OF PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS AND ASSISTANT PROFESSORS

[Act Section 28 (1) (o)]

The promotion/career advancement of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in the University shall be governed by the Norms/Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

> KANWAL PAL SINGH MUNDRA, Registrar [Advt-III/4/Exty/213/2020-21]